

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची।

राँची, दिनांक- 21.07.2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत चालू योजना के रूप में राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची हेतु कुल 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़) रुपये मात्र के अनुदान का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-19(5) योजना दिनांक- 09.06.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत चालू योजना के रूप में राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची हेतु कुल 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़) रुपये मात्र के अनुदान की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

3. इस राशि का व्यय शैक्षणिक संकाय, भवनों का निर्माण/पुनरुद्धार, मशीन उपकरण का क्रय एवं अन्य आवश्यक कार्यों पर शासी परिषद् की स्वीकृति के आलोक में किया जाएगा।

4. व्यय का वहन राज्य स्कीम बजट मुख्यशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-84-राँची मानसिक अस्पताल-01-राँची इन्स्टीच्यूट ऑफ न्यूरो और एलाइड साइन्सेज को सहायता अनुदान-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)(विपत्र कोड-20एस 2210-01-796-84-01-06-79) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

5. निदेशक, राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

7. राशि की निकासी राँची कोषागार, राँची से की जाएगी।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

8. राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची के नियमावली के अनुसार व्यय का अनुमोदन नियमानुसार शासी परिषद् से प्राप्त कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि का व्यय सहायता अनुदान संबंधी वित्तीय नियमों के अधीन करेंगे।

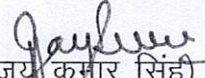
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

10. निर्माण कार्य की सही गुणवत्ता के लिये कनीय अभियंता, सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता जिम्मेवार होंगे। अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से कार्य का निरीक्षण किया जाएगा।

11. विभागीय कार्यालय आदेश सं०-48(11) दिनांक-20.03.2025 के आलोक में संस्थान के विभिन्न योजनाओं पर व्यय हेतु आवंटित राशि के निकासी से संबंधित सभी विपत्रों पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा।

12. आवंटित राशि से हुए व्यय की वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

विश्वासभाजन,


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

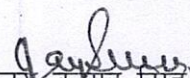
ज्ञापांक- 21(5)ब,
प्रतिलिपि:-

राँची, दिनांक: 21.07.2024

1. प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची।
2. उपायुक्त, राँची।
3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली।
4. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची।
5. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।
6. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. सिविल सर्जन, राँची।
8. संबंधित प्रशाखा के पदाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
9. कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार, राँची।
10. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव
21(5)ब,
21.07.2024


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत चालू योजना के रूप में राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान, राँची हेतु आवंटित राशि की विवरणी

(राशि रुपए में)

क्र०	उपशीर्ष	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-84-राँची मानसिक अस्पताल-01-राँची इन्स्टीच्यूट ऑफ न्यूरो और एलाइड साइन्सेज को सहायता अनुदान-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) (विपत्र कोड-20एस 2210-01-796-84-01-06-79)	25,00,00,000	निदेशक रिनपास, राँची के पत्रांक-Accounts/015/196/2020-21/Vol-VIII/ 1724 दिनांक-10.07.2026 के आलोक में इस राशि में से अनुदान सामान्य (गैर वेतन मद) में कुल 10,19,48,060/-रुपये का संचालन बैंक खाते से तथा अनुदान (वेतन मद) में 3,80,51,940/-रुपये एवं अनुदान सामान्य (गैर वेतन मद) में 11,00,00,000/-रुपये का संचालन पी०एल० खाता के माध्यम से किया जाएगा।
	कुल योग	25,00,00,000	

कुल पच्चीस करोड़ रुपए मात्र।


(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव


(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

21(5)क,
21.07.2026



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 5-P-17/2022/21(5)B

दिनांक - 21-Jul-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 22100179684010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 84 - राँची मानसिक अस्पताल 01-राँची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो, और एलाइड साइंसेज (RINPAS) को सहायता अनुदान 06 - अनुदान State Scheme	45107	RNCMED020 JAYATI SIMLAI KHESS DIRECTOR RINPAS,KAMKE,RANCHI HI 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	250,000,000.00 रुपये पच्चीस करोड
	State Scheme : Central Scheme :	RANCHI INSTITUTE OF NEURO - PSYCHIATRY AND ALLIED SCIENCES (RINPAS)(0027) NA		

योग:

रुपये पच्चीस करोड

250,000,000.00

क्रमिक योग:

(Signature)
(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवंटित राशि की विवरणी :-

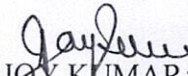
मांग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 84 - राँची मानसिक अस्पताल

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S22100179684010679 सहायता अनुदान सामान्य ,गैर. वेतनछ	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Ranchi	RNCMED020	Jayati Simlai Khess	Director Rinpas,Kamke,Ranchi	₹25,00,00,000.00 (45107)	₹25,00,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹25,00,00,000.00 (पच्चास करोड) रुपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए


(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY